भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3204

जिसका उत्तर गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म को बंद किया जाना

3204. श्री एस. सेम्मलई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म (एचपीएफ) की चेन्नई के अम्बातर में ऊटी स्थित शाखा को बंद किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एचपीएफ को पुनरुज्जीवित करने और कर्मचारियों को नए अवसर प्रदान करने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क)और(ख): जी, हां। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने दिनांक 28.06.2013 को हुई अपनी बैठक में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. (एच पी एफ एल) के पुनरुद्धार की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और इस बारे में निम्नलिखित प्रयास किए जाने का सुझाव दिया:-

(i) बिना किसी बकाया राशि के सभी कर्मचारियों पर 2007 के नोशनल वेतनमानों के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी आर एस) का क्रियान्वयन। सरकार को वी आर एस के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित निधियों को इक्विटी अथवा निलंब लेखा में ऋण के रूप में या फिर दूसरे प्रकार से उपलब्ध कराना चाहिए। आवश्यक छूट लोक उद्यम विभाग के अनुदेशों के अनुरूप हो।

(ii) बैंकों, एफ आई आई की अन्य सभी देनदारियों को चेन्नई और ऊटी स्थित कंपनी की भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से चुकाया जाना चाहिए। आवश्यक राशि में रही कमी को सरकार द्वारा वित्तपोषण से पूरा किया जाए।

(iii) कंपनी के कब्जे में जो भूमि तमिलनाडु सरकार की है, उसे उस सरकार को वापस लौटा दी जाए।

(iv) यदि अन्य कोई सरकारी संगठन जैसे की आयुध कारखाना बोर्ड स्वयं अपने उपयोग के लिए कंपनी की भूमि लेने का इच्छुक हो तो इसकी भी अनुमित दी जाए। यदि, सरकार उपलब्ध भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन जैसे कि होटल स्थापित करने के लिए करना चाहे, तो उसकी भी अनुमति दे दी जाए।

(ग)से(ङ): लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड द्वारा यथासंस्तुत एच पी एफ के कर्मचारियों के लिए एक वृद्धित वी आर एस पैकेज तैयार किया जा रहा है।

*****